

Name of the Licence Holder Ranjit Singh

Son/Wife/Daughter of Sh. Pashupati Singh



Specimen signature of
Thumb impression of the
Holder of the Licence

Signature and designation of
the Licence Authority

Sh. Pashupati Singh
15-1-17

D.L. No. 66012402

Date of issue 15-1-17

Name Ranjit Singh

Son/Wife/Daughter of Sh. Pashupati Singh

Address Sh. Singhajiya Sahiya Wazirganj Naya

Dist. Patna, Bihar
Ashiyana Nagar, Patna

Date of Birth 02-03-55

Educational Qualification

Blood Group with RH factor

SPACE FOR ENDORSEMENT BY COURT

Date	Section and Rule	Fine or Other Punishment	Signature of the Endorsing Authority

The Holder of this licence is licensed to drive through out India vehicles of the following description :

Motor Cycle without gear

~~Motor Cycle with gear~~

Invalid Carriage LMV

Medium Goods Vehicle

Medium Passenger Vehicle

Heavy Goods Vehicle

Heavy Passenger Motor Vehicle

A motor vehicle of the following description.

The Licence to drive

vehicle other than transport

vehicles is valid

The licence to drive

Transport vehicle is

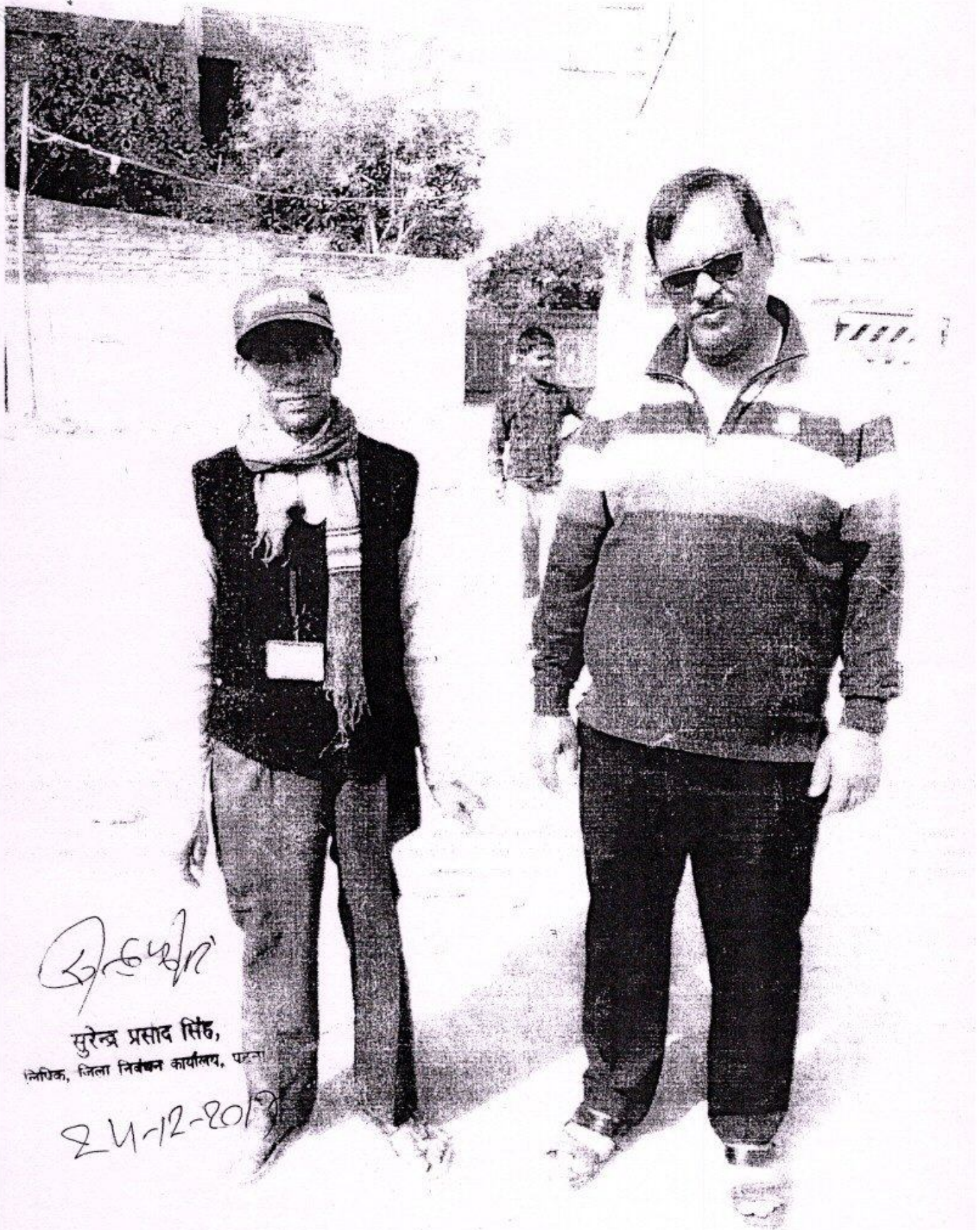
from

12-7-17

Signature and designation of
the Licence Authority

Patna Transport Officer
PATNA

15
12/7/17



सुरेन्द्र

सुरेन्द्र प्रसाद सिंह,
निधिक, जिला निबंधन कार्यालय, पटना

24-12-2017

Shatrughan Pol. Sinha

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHATRUGHAN PRASAD SINHA
BINDESHWARI KUMAR
01/01/1962
Permanent Account Number
AFYPS6046M
Signature
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



Shatrughan Pr. Sinha.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O बिनदेश्वरी कुमार, फ्लैट नम्बर
३०३ ब्लॉक ए निउटे गार्डन मुरली चक,
जगदेओ पट्ट, सी.पी. कॉलेज, पटना, बिहार,
800014

Address: S/O Bindeshwari Kumar,
Flat No 303 Block A Newton
Garden Murli Chak, Jagdeo Patth,
B.V. College, Patna, Bihar,
800014



1947
1800 180 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



P.O. Box No.1947,
Bengaluru-560 001



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा
Shatrughan Prasad Sinha

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1962
पुरुष / Male



4550 4611 6790

आधार — आम आदमी का अधिकार

Shatrughan Prasad Sinha

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ARUN KUMAR DANGI
SHEO SHARAN SINGH
05/01/1964
Permanent Account Number
ADGPK8001N
Signature
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
02112016

Arun Kumar Dangi
Sheo Sharan Singh

 भारत सरकार
Government of India

 अरुण कुमार दांगी
ARUN KIUMAR DANGI
पिता : शिव शरण सिंह
Father: Sheo Sharan Singh
जन्म तिथि / DOB : 05/01/1964
पुरुष / Male



7978 4145 5489

आधार - आम आदमी का अधिकार

 भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

पता: शिवराम कुंज मगध विकास Address: sheoram kunj MAGADH VIKAS
कोलोनी, मौर्या पथ, रुक्मपुरा, बी.भी. COLONY, MAURYA PATH, Rukampura,
कॉलेज, पटना, बिहार, 800014 B.v. College, Patna, Bihar, 800014

7978 4145 5489

1947
1800 300 1947

 help@uidai.gov.in

 www.uidai.gov.in

Arun Kumar Dangi
Sharma

दी पायोनियर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना

(पंजीयन संख्या-119 / ई० 1928)

कार्यालय - सामुदायिक भवन, द्वारकापुरी, हनुमान नगर, पटना

श्री जीतेन्द्र कुमार राय

अध्यक्ष

श्री रवीन्द्रनाथ राय

सचिव

पत्रांक.....

दिनांक 5/9/17

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर राय

पिता- स्व० पंचालाल राय,

ग्राम- सिल्हौड़ी, थाना-मदौदा

जिला- छपरा (बिहार)

विषय:- सोसाइटी भूखंड संख्या 13 नया, मौजा- पकड़ी, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, तौजी संख्या -5341, सर्वे थाना संख्या -31, सर्वे खाता संख्या -96, सर्वे खसरा संख्या 413, जिला पटना, रकवा- 1492 वर्ग फीट पर बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए अनुमति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका आवेदन दिनांक 28/04/2017

महाशय,

प्रसांगिक विषय के संबंध में कहना है कि आपके आवेदन के आलोक में वर्णित सोसाइटी भूखंड संख्या 13 नया, मौजा- पकड़ी, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, तौजी संख्या -5341, सर्वे थाना संख्या -31, सर्वे खाता संख्या -96, सर्वे खसरा संख्या 413, जिला पटना, रकवा- 1492 वर्ग फीट पर बहुमंजिला भवन निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन आपके एवं निर्माता द्वारा किए जाने की वचनबद्धता के आधार पर दी जा रही है:-

1. भवन में सदस्यों के लिए आप पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। सड़क पर एपार्टमेंट निवासी कचरा या गंदगी नहीं डालेंगे।
2. निर्माता या निवासी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अन्य सदस्यों को कष्ट हो।
3. एपार्टमेंट के निवासी/स्वामी पायोनियर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड की सदस्यता विहित शुल्क देकर अनिवार्य रूप से स्वीकार करेंगे एवं सोसाइटी की उपविधि, नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे।

ही पायोनियर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना

(पंजीयन संख्या-119 / इं० 1928)

कार्यालय - सामुदायिक भवन, द्वारकापुरी, हनुमान नगर, पटना

श्री जीतेन्द्र कुमार राय

अध्यक्ष

श्री रवीन्द्रनाथ राय

सचिव

पत्रांक.....

दिनांक 5/9/20

4. निर्माता सड़क पर रैम्प, खुली नाली या खुला मेनहॉल नहीं बनाएंगे। परिसर में डस्टबीन रखेंगे। परिसर में वायु स्वच्छता के लिए बागवानी लगाने का प्रयास करेंगे।
5. उपरोक्त वर्णित भूखंड पर बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए नक्शे की स्वीकृति संबंधित विभाग से लेंगे एवं नक्शे के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाती है। स्वीकृत नक्शे एवं उसके अनुमान्य मापदंड में किसी प्रकार का विचलन नहीं करेंगे। यदि किसी प्रकार का विचलन करेंगे तो इसके लिए सोसाइटी किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगी। भवन निर्माण के लिए संबंधित विभाग से स्वीकृत नक्शा केवल और केवल आवासीय उद्देश्य के लिए ही मान्य होगा। साथ ही परिसर में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी।
6. भूखंड स्वामी एवं भवन निर्माता के बीच किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सोसाइटी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सोसाइटी अपने सदस्यों को मात्र उपलब्ध वांछित कागजी सहयोग करेगा।
7. भूखंड स्वामी एवं भवन निर्माता अपने-अपने हिस्से का फ्लैट की बिक्री स्वयं तय करेंगे। परन्तु फ्लैट के क्रेता पायोनियर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य होंगे तथा उनपर सोसाइटी की उपविधि एवं शर्तें लागू होंगी।
8. भवन निर्माण हेतु ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी, गैर सरकारी वित्तीय संस्था से ऋण सुविधा प्राप्त करने में सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु फ्लैट का बंध पत्र (Mortgage) भी कर सकते हैं। इसमें सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु लिए गए ऋण की कोई जवाबदेही सोसाइटी की नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सहकारिता की भावना, उपविधि एवं आबंटन शर्तों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

सोसाइटी के सचिव श्री रवीन्द्र नाथ राय का स्वर्गवास दिनांक 26/09/2015 को हो गया है एवं इसके उपरान्त उनके स्थापन सचिव का चुनाव नहीं हुआ है।

(जीतेन्द्र कुमार राय)

अध्यक्ष

दी पायोनियर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना

(पंजीयन संख्या-119 / ई० 1928)

कार्यालय - सामुदायिक भवन, द्वारकापुरी, हनुमान नगर, पटना

श्री जीतेंद्र कुमार राय

अध्यक्ष

श्री रवीन्द्रनाथ राय

सचिव

पत्रांक.....

दिनांक 5/9/2017

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

श्रीमति सुनीता राय

पति- श्री चन्द्रशेखर राय

ग्राम- सिल्हौड़ी, थाना-मढ़ौड़ा

जिला- छपरा (बिहार)

विषय:- सोसाइटी भूखंड संख्या 12 एवं 13, सर्वे प्लॉट नंबर-413, तौजी नं० 5341, खाता संख्या- 96, मौजा- पकड़ी, थाना नंबर- 31, थाना- फुलवारी शरीफ, जिला पटना, रकबा- 4575 वर्ग फीट पर बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए अनुमति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका आवेदन दिनांक 28/04/2017

महाशय,

प्रसांगिक विषय के संबंध में कहना है कि आपके आवेदन के आलोक में वर्णित सोसाइटी भूखंड संख्या 12 एवं 13, सर्वे प्लॉट नंबर-413, तौजी नं० 5341, खाता संख्या- 96, मौजा- पकड़ी, थाना नंबर- 31, थाना- फुलवारी शरीफ, जिला पटना, रकबा- 4575 वर्ग फीट पर बहुमंजिला भवन निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन आपके एवं निर्माता द्वारा किए जाने की वचनबद्धता के आधार पर दी जा रही है:-

1. भवन में सदस्यों के लिए आप पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। सड़क पर एपार्टमेंट निवासी कचरा या गंदगी नहीं डालेंगे।
2. निर्माता या निवासी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अन्य सदस्यों को कष्ट हो।
3. एपार्टमेंट के निवासी/स्वामी पायोनियर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड की सदस्यता विहित शुल्क देकर अनिवार्य रूप से स्वीकार करेंगे एवं सोसाइटी की उपविधि, नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे।

Handwritten signature and date: 5/9/2017

दी पायोनियर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना

(पंजीयन संख्या- 119 / ई० 1928)

कार्यालय - सामुदायिक भवन, द्वारकापुरी, हनुमान नगर, पटना

श्री जीतेन्द्र कुमार राय

अध्यक्ष

श्री रवीन्द्रनाथ राय

सचिव

पत्रांक.....

दिनांक ६/१/२०१५

4. निर्माता सड़क पर रैम्प, खुली नाली या खुला मेनहॉल नहीं बनाएंगे। परिसर में डस्टबीन रखेंगे। परिसर में वायु स्वच्छता के लिए बागवानी लगाने का प्रयास करेंगे।
5. उपरोक्त वर्णित भूखंड पर बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए नक्शे की स्वीकृति संबंधित विभाग से लेंगे एवं नक्शे के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाती है। स्वीकृत नक्शे एवं उसके अनुमान्य मापदंड में किसी प्रकार का विचलन नहीं करेंगे। यदि किसी प्रकार का विचलन करेंगे तो इसके लिए सोसाइटी किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगी। भवन निर्माण के लिए संबंधित विभाग से स्वीकृत नक्शा केवल और केवल आवासीय उद्देश्य के लिए ही होगा। साथ ही परिसर में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी।
6. भूखंड स्वामी एवं भवन निर्माता के बीच किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सोसाइटी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सोसाइटी अपने सदस्यों को मात्र उपलब्ध वांछित कागजी सहयोग करेगा।
7. भूखंड स्वामी एवं भवन निर्माता अपने-अपने हिस्से का फ्लैट की बिक्री स्वयं तय करेंगे। परन्तु फ्लैट के क्रेता पायोनियर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य होंगे तथा उनपर सोसाइटी की उपविधि एवं शर्तें लागू होंगी।
8. भवन निर्माण हेतु ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी, गैर सरकारी वित्तीय संस्था से ऋण सुविधा प्राप्त करने में सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु फ्लैट का बंध पत्र (Mortgage) भी कर सकते हैं। इसमें सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु लिए गए ऋण की कोई जवाबदेही सोसाइटी की नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सहकारिता की भावना, उपविधि एवं आबंटन शर्तों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

सोसाइटी के सचिव श्री रवीन्द्र नाथ राय का स्वर्गवास दिनांक 26/09/2015 को हो गया है एवं इसके उपरांत उनके स्थापन सचिव का चुनाव नहीं हुआ है।

(जीतेन्द्र कुमार राय)

अध्यक्ष